न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रदीपसिंह सांगावत, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 13 / 2016 (डूंगरपुर डिक्री)

रामजी पिता गेंदीलाल, जाति मीणा, निवासी गडा मेडतिया, तहसील गलियाकोट, जिला डूंगरपुर (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. कान्तिलाल पिता धनजी मसार, जाति मीणा
2. चम्पा पिता धनजी मसार, जाति मीणा
3. कचरा पिता धनजी मसार, जाति मीणा
4. नानू पिता हरजी मसार, जाति मीणा (मृतक)

   4 / 1. मानू पिता नानू मसार, जाति मीणा
5. रतनलाल पिता गेंदीलाल मीणा
6. कमलाशंकर पिता गेंदीलाल मीणा
7. सोमली बेवा गेंदीलाल मीणा
8. राजेश कुमार पिता लक्ष्मणलाल अवयस्क जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता राधा बेवा लक्ष्मणलाल
9. प्रवीण कुमार पिता लक्ष्मणलाल अवयस्क जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता राधा बेवा लक्ष्मणलाल
10. श्रीमती दुर्गा पिता लक्ष्मणलाल
11. मंजुला पिता लक्ष्मणलाल
12. मीनाक्षी पिता लक्ष्मणलाल
13. राधा बेवा लक्ष्मणलाल
14. हलिया पिता कलजी जाति आदिवासी

   सर्वनिवासियान गडा मेडतिया, तहसील गलियाकोट, जिला डूंगरपुर (राज.)
15. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार, गलियाकोट, जिला डूंगरपुर (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान

का॰अ॰ 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री

उपखण्ड अधिकारी सागवाड़ा, दिनांक

12.10.2015 प्रकरण सं0 [illegible]6 / 2013

___ / ___

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:52:24 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित :– 1– श्री प्रवीण शुक्ला अभिभाषक अपीलान्ट

2– श्री कमलेश कुमार पण्डा अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट

———::———

निर्णय दिनांक 08–08–2024

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 4 ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 88, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं सपठित धारा 125, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण एक ही परिवार के हैं तथा प्रतिवादीगण वादीगण के रिश्तेदार नहीं होकर मात्र जाति भाई व एक ही गांव के रहने वाले हैं। वादीगण के मूलपुरूष कोदर मसार होकर उनका सजरा वाद पत्र की कलम संख्या 1 अनुसार है। वादी संख्या 1 से 3 के पिता तथा वादी संख्या 4 के दादा धनजी पिता कोदरा व उनके भाई नगजी पिता कोदरा का 2 भाग तथा उनके भाई धीरा के पुत्र धुलिया, रावजी, लाडजी पिता धीरा का 1 भाग की आराजी नंबर 1171 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा भूमि ग्राम गडा मेडतिया में स्थित है, जिसके हाल आराजी नंबर 1740 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, 1741 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा एवं 1742 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा हैं। खसरा नंबर 1741 नगजी की मृत्यु के पश्चात् उनके पुत्र मक्सी के पुत्र हुरजी, बापू, जगला, जोती, मोती, ईटली, बदी, जीवी, रेशम व कावा के पुत्र कचरा, कंकू बेवा श्रीमती भूरी के नाम वर्तमान खाता संख्या 110/94 में दर्ज है। खसरा नंबर 1742 धीरा की मृत्यु के बाद उसके पुत्र धुला, रावजी व वालिया पिता लाडजी 3/4 हिस्सा तथा कालिया के वारिस मीर, कमला, नर्वदा, प्रकाश 1/4 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज होकर वर्तमान खाता संख्या 37/29 में है। खसरा नंबर 1740 धनजी की मृत्यु के बाद वादीगण संयुक्त रूप से खेती करते चले आ रहे हैं तथा वादीगण का ही 50–60 वर्षो से निरन्तर कब्जा चला आ रहा है। प्रतिवादीगण 3 माह पूर्व आये एवं बताया कि यह भूमि प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है, जो राजस्व कर्मचारियों की गलती के कारण हुआ है जिसकी इन्द्राज दुरस्ती की जानी आवश्यक है। अतः वादीगण को आराजी नंबर 1740 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा का खातेदार घोषित किया जावे।

प्रतिवादीगण की [illegible] जवाबदावा प्रस्तुत किया गया तथा वादीगण द्वारा [illegible] बताया। अधिनस्थ

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:52:24 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय ने प्लीडिंग्स के आधार पर कुल 5 तनकियां कायम की गयी तथा उभयपक्ष की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 12–10–2015 से वादीगण का वाद स्वीकार कर डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दिनांक 26–02–2016 को यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्टगण की ओर से अधिवक्ता कमलेश कुमार पण्डा उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी/अपीलान्ट अहमदाबाद में मजदूरी करता है, जिससे उसे अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं हो सकी। अपीलान्ट को प्रथम बार दिनांक 27–01–2016 को हुई। जानकारी होते ही अविलम्ब अपील प्रस्तुत कर दी गयी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि वादीगण ने गलत सजरा प्रस्तुत किया है। वादीगण व प्रतिवादीगण एक ही मूल पुरूष कारू मसाद के वंशज हैं, जिसे स्वयं वादी चम्पा ने स्वीकार किया है, इसके बावजूद भी अधिनस्थ न्यायालय ने वाद डिक्री कर दिया, जो त्रुटि पूर्ण है। प्रतिवादी चम्पा ने यह भी स्वीकार किया है कि 40–50 वर्षो से प्रतिवादीगण का कब्जा है, इसके बावजूद भी अधिनस्थ न्यायालय ने वादीगण का वाद डिक्री कर दिया, जो त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री निरस्त की जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:52:24 IST
Reason: SelfAttested

रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने उक्त बहस का जवाब देते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने साक्ष्यों का विवेचन करते हुए तनकीवार निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। प्रदर्श पी. 1 जमाबन्दी संवत् 2002 से 2011 में साबिक आराजी नंबर 1171 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा भूमि वादीगण के मूल पुरूष के खातेदारी में दर्ज है तथा मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श पी. 2 अनुसार साबिक आराजी नंबर 1171 से हाल 1740 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, 1741 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा एवं 1742 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा बनना स्पष्ट है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने तनकी संख्या 2 के विवेचन में यह स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि प्रतिवादीगण ने अपने जवाब में अंकित किया है कि वादग्रस्त भूमि वादीगण के पिता एवं अन्य भाईयों ने स्वेच्छा से सेटलमेन्ट के समय वाला के पुत्र कलजी के नाम पर अंकित करवायी है, परन्तु अपने कथन के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। उक्त आधार पर तनकी नंबर 2 का विवेचन वादीगण के पक्ष में करते हुए अन्य तनकियों में किये गये विवेचन अनुसार वादीगण का वाद डिक्री किया है, जो पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड अनुसार प्रथम दृष्टया विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना आवश्यक नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री 12–10–2015 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 08–08–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:52:24 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**प्रदीपसिंह सांगावत, आर.ए.एस.** .....

रामजी पिता गेंदीलाल मीणा, निवासी गडा मेडतिया, तहसील गलियाकोट, जिला डूंगरपुर बनाम **कांतिलाल पिता धनजी मसार मीणा, नि. गडा मेडतिया, तह. गलियाकोट, जिला डूंगरपुर व अन्य**

अपील नं.....**13/2016**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**सागवाड़ा**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**....12**.....माह.....**10**.....**2015**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**08**....माह.....**08**....सन् **2024** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री प्रवीण शुक्ला**.....मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री कमलेश कुमार पण्डा**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि.... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री 12–10–2015 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**08**.....माह.....**08**.....**2024** को जारी किया गया।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:52:24 IST
Reason: SelfAttested